

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा से रापड़-जीनापानी-मझीड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम गंगोड़ा (रापड़)
तहसील भिकियासैन जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (.....
X हे० आरक्षित वन भूमि X हे० सिविल सोयम भूमि 2.160 हे० वन पंचायत भूमि 1.080 हे०) अर्थात् कुल 3.240
हे० वन भूमि का जी० नि० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गंगोड़ा (रापड़) द्वारा दिनांक 8/01/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गंगोड़ा (रापड़) के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि जी० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत का अध्यक्ष
ग्राम पंचायत गंगोड़ा
मुख्य अधिकारी अल्मोड़ा

ग्राम पंचायत का अध्यक्ष
मुख्य अधिकारी अल्मोड़ा
ग्राम पंचायत गंगोड़ा
वि०ख०-भिकियासैन (अल्मोड़ा)

दिनांक 8-1-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत २७९९

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
②	रघुवीर देवी	रघुवीर देवी
③	Hemraj Negi	Hemraj Negi
④	भागरथ देवी	भागरथ देवी
⑤	पानासिंह देवी-	पानासिंह देवी-
⑥	बालम कुमार	Balaram

- ⑦ लक्ष्मण सिंह
⑧ देवराज
⑨ प्रेमसिंह

लक्ष्मण सिंह
देवराज

ग्राम प्रधान / सरपंच प्रधान
ग्राम पंचायत गंगोड
वि०ख०-भिकियारन (अल्)

रघुवीर सिंह
सरपंच,
बन पंचायत रापड
पो० धो० पाली (चौगुलियम)
जिला - चम्पारन,

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में राफट - जीनापानी - मझेड़ा
मौटर मार्ग के निर्माण हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम नौधरिया / धरी
तहसील भिकियासैन जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु
X हे० आरक्षित वन भूमि X हे० सिविल सोलम भूमि 2.60 हे० वन पंचायत भूमि 1.080 हे० अर्थात् कुल 3.240
हे० वन भूमि का लो० नि० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावाहित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नौधरिया द्वारा दिनांक 9-1-05 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
समास्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नौधरिया / धरी के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत
नौधरिया

ग्राम प्रधान / सरपंच
नौधरिया
ग्राम पंचायत नौधरिया
वि०ख०-भिकियासैन (अल्मोड़ा)

सरपंच
वन पंचायत नौधरिया
भिकियासैन (अल्मोड़ा)

दिनांक 8-1-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत नौधरिया धारी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वांछित को ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	बागेश्वर सिंह	बागेश्वर
2-	दीवान सिंह	दीवान सिंह
3-	वृपाल सिंह	वृपाल
4-	प्रेम सिंह	प्रेम
5-	जोगा राम	जोगा राम
7-	इन्द्र राम	इन्द्र राम

ग्राम प्रधान / सरपंच

प्रधान

ग्राम पंचायत नौधरिया
वि०ख०-भिकियासैन (अल्मोड़ा)

प्रेम सिंह

सरपंच
ग्राम पंचायत नौधरिया
भिकियासैन (अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में राप्ड़ - जीनायानी - मझड़ा मीटर
मार्ग के निर्माण हेतु

वन अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम धनोली / चौब्यासी
तहसील भिवरियासैन जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु
(X हे० आरक्षित वन भूमि X हे० निचिल सोयम भूमि 2.160 हे० वन पंचायत भूमि 1.080 हे०) अर्थात् कुल 3.240
हे० वन भूमि का लौ० नि० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धनोली / चौब्यासी द्वारा दिनांक 08/01/2015 को सम्मेलन ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
रूपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धनोली / चौब्यासी के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लौ० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिटे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत धनोली / चौब्यासी
ग्राम पंचायत धनोली / चौब्यासी
ग्राम पंचायत धनोली / चौब्यासी

उमरसिया रौतेला
ग्राम पंचायत धनोली तहसील
अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

ग्राम पंचायत / तहसील
मुख्य अधिकारी
दीवाजी राण
ग्राम पंचायत धनोली
वि०ख०-भिवरियासैन (अल्मोड़ा)

दिनांक 8-2-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत धनौली/धौलगाड़ी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	बालग सिंह S/o पीतन सिंह	
	चन्दन सिंह S/o पावाहर सिंह	
	पुताप सिंह S/o बने सिंह	पुताप सिंह
	राजेन्द्र सिंह S/o राम सिंह	राजेन्द्र सिंह
	बहादुर सिंह S/o खीम सिंह	बहादुर सिंह
	लक्ष्मण सिंह S/o पुताप सिंह	लक्ष्मण सिंह

बहादुर सिंह

सरपंच

उगलिया रौतेला

ग्राम पंचायत धनौली तहसील
जिला अल्मोड़ा (उत्तरांचल)

ग्राम प्रधान / सरपंच

दीवाना राम
प्रधान

ग्राम पंचायत धनौली

पि0ख0-भिवियासैन (अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम :-

जनपद-उत्तमेश में राष्ट्रीय-जीवाणु प्रशोधन केंद्र मार्ग
के निर्माण हेतु

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम हरनोली (पुरैला) कोटा
तहसील भिकियाखंडा जिला उत्तमेश
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तमेश के अन्तर्गत उपखण्ड परियोजना के निर्माण हेतु (.....
.....X..... हे० आरक्षित वन भूमि X..... हे० सिविल सोयम भूमि 2.160 हे० वन पंचायत भूमि 1.080 हे०) अर्थात् कुल 3.240
हे० वन भूमि का ली० नं० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावाहित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत हरनोली (पुरैला) द्वारा दिनांक 08-1-015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम हरनोली (पुरैला) के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ली० नं० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत हरनोली
वि० नं० भिकियाखंडा

हरनोली
ग्राम पंचायत हरनोली
वि० नं० भिकियाखंडा
हरनोली

सरपंच
ग्राम पंचायत पुरैला
हरनोली (उत्तमेश)

दिनांक 08-01-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत हरनोली (पुरखोला) कोटा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	हरीसिंह श. आनसिंह	हरीसिंह
2-	मोहनसिंह श. सुमोसिंह	मोहन
3-	आनन्दसिंह श. मोहनसिंह	आनन्दसिंह
4-	जोगसिंह श. हरीसिंह	जोगा सिंह
5-	मोहनसिंह श. कचसिंह	कचसिंह
6-	तिलाराम श. पदीराम	तिलाराम

मोहनसिंह
ग्राम पंचायत/सुरक्षक
हरनोली
वि.प.को-मोहनसिंह (अन्वय)

हरीसिंह
सरपंच
ग्राम पंचायत पुरखोला
कोटा-सिन्धु (अन्वय)

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- रायठ-जोगावानी-मछेडा मोरर अर्री

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम डुमना
तहसील मिर्जापुर जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत डुमना परियोजना के निर्माण हेतु (1.08 हे० आरक्षित वन भूमि, 2.16 हे० सिविल सोयम भूमि, 1.08 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 3.24 हे० वन भूमि का जो ०१०१० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डुमना द्वारा दिनांक ८-२-०८ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिष्ठत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डुमना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव

ह०/-
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत डुमना
वि०ख०-मिर्जापुर (अ०)

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 8-1-015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत : कुशी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित दृष्टि ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	बालम सिंह ठाकुर	बालम सिंह
2	कानन सिंह	आन सिंह
3	मदन सिंह	मदन सिंह
4	आनंद सिंह	आनंद सिंह
5	मदन सिंह	मदन सिंह
6	मदन सिंह	मदन सिंह
7	मदन सिंह	मदन सिंह
8	मदन सिंह	मदन सिंह
9	मदन सिंह	मदन सिंह
10	मदन सिंह	मदन सिंह
11	मदन सिंह	मदन सिंह
12	मदन सिंह	मदन सिंह
13	मदन सिंह	मदन सिंह

४०/-

ग्राम प्रधान *[Signature]*

२. शास्त्र प्रमाणानुसारम्
विश्व-भारत-विद्यालय

परियोजना का नाम :-

शपड जीना पाणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम
तहसील
अनापत्ति प्रमाण पत्र

करगीना / भौनली
भिकियासैण जिला अल्मोड़ा

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरीकृत परियोजना के निर्माण हेतु (.....
X हे० आरक्षित वन भूमि X हे० सिविल सोयम भूमि 2.160 हे० वन पंचायत भूमि 1.080 हे०) अर्थात् कुल 3.240
हे० वन भूमि का ली० नि० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत करगीना / भौनली द्वारा दिनांक 08/01/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम करगीना / भौनली के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ली० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
विकास खण्ड
ग्राम पंचायत क्षेत्र

मोक्षदेवी
सरपंच
वन पंचायत भौनली
तहसील-भिकियासैण (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुखर सिंह
आशुदेवी
प्रधान
ग्राम पंचायत भौनली
वि०ख०-भिकियासैण (अल्मोड़ा)

दिनांक 08-01-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत बनोली / भनोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हरीश चन्द	हरीश चन्द
2	किशोर चन्द	किशोर चन्द
3	दयाल राम	दयाल राम
4	देव राम	देव राम
5	जीवन चन्द	जीवन चन्द
6	किरे-दु गिरी	किरे-दु गिरी

3/1/15 देवी

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत भनोली
वि०ख०-भिकियासेण (अल्मोडा)

ग्राम प्रधान / सरपंच

देवी

सरपंच

ग्राम पंचायत भनोली

तहसील-भिकियासेण (अल्मोडा)

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में रापड़ - जीनापानी - मझड़ा मोटर
मार्ग के निर्माण हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सोली (धारीगाँव) प्रखण्ड
तहसील भिकियासैण जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (
X हे० आरक्षित वन भूमि X हे० सिविल सौयम भूमि 2.160 हे० वन पंचायत भूमि 1.080 हे०) अर्थात् कुल 3.240
हे० वन भूमि का ली० नि० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सोली (धारीगाँव) द्वारा दिनांक 8-01-15 को सम्मन ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
संप्रस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सोली (धारीगाँव) के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ली० नि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत सोली
ग्राम सचिव सोली
ग्राम पंचायत सोली

वन पंचायत सोली
गो० सिनोडा जि० अल्मोड़ा

ग्राम पंचायत सोली
ग्राम सचिव सोली
मुख्य सचिव

दिनांक 8-1-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत सोली / मन्डोडा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री - गंगाधर शं. श्री जमाली	- [Signature]
2-	" ललित कुमार शं. श्री नारीशक	- [Signature]
3-	" मदनचंद शं. रूपानी	[Signature]
4-	" नरसिंह शं. रूपानी	[Signature]
5-	" मदनचंद शं. नरसिंह	[Signature]
6-	" मदनचंद शं. नरसिंह	[Signature]

[Signature]
ग्राम पंचायत सोली
मन्डोडा जिला अल्मोड़ा

[Signature]
प्रधान
ग्राम पंचायत सोली
वि०ख०-भिकियासैन (अल्मोड़ा)

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- रायण-जोनापानी-मंडोल

कार्यालय उप जिलाधिकारी, विक्रिप्रापण

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, विक्रिप्रापण

उपखण्ड विक्रिप्रापण परिक्षेत्र के अन्तर्गत रायण-जोनापानी-मंडोल
विक्रिप्रापण (—) हे० आरक्षित वन भूमि, 2.460 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.080 हे०
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 3.240 हे० वन भूमि) का
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील विक्रिप्रापण) की दिनांक 18-2-2015 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री रायण-जोनापानी-मंडोल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री राजेंद्र प्रसाद विक्रिप्रापण उपजिलाधिकारी
- 2- श्री राजेंद्र प्रसाद विक्रिप्रापण उप प्रभागीय वनाधिकारी
- 3- श्री राजेंद्र प्रसाद विक्रिप्रापण सहायक समाज कल्याण अधिकारी
- 4- श्री विक्रिप्रापण विक्रिप्रापण सी० डी० सी० क्षेत्र

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि

रायण-जोनापानी-मंडोल विक्रिप्रापण
परियोजना हेतु 3.240 हे० वन
भूमि रायण-जोनापानी-मंडोल विक्रिप्रापण

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, राजेंद्र प्रसाद द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड डिकीराहा परिक्षेत्र के अन्तर्गत
उपखण्ड जिलाधिकारी परियोजना के निर्माण हेतु 3.240
हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- डिकीराहा
जनपद अमरगढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अमरगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- डिकीराहा
जनपद अमरगढ़

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :-

रायड जीजापानी मझे बोट मार्ग

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित रायड जीजापानी मझे

परियोजना के निर्माण हेतु 3.240 हे० वन भूमि लो.से.वे (प्रयोक्ता एजेंसी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 06-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारंपण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाइन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

2502/15
जिला अधिकारी

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Rudraprayag

No :

Dated:

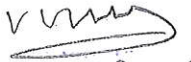
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers) Recognition of Forest Right, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that 3.240.....hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Rapti Zoonapani Majhera M/R.....
.....
(Purpose for diversion of forest land) in Almora.....district falls within jurisdiction of Damna village(s) in Bhikunjan Tehsils.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.240.....Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent of it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribble Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

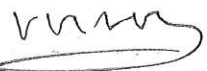

25/12/15
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 3.240 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above



25.02.15

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

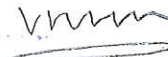


A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FR 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S. Deputy Commissioner Almora on date.....25.12.15.....at time.3.00 PM.....at Almora, in which application claiming rights of area measuring ...3.24.9 hect. for 1 Construction ofRapar-Zeetapani-majhera m/R..... of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same for admission by district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :


25.12.15
विनी अधिकारी,
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)